पंजीकरण सं. : 3161/09

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

Regd Office - Booty Road, Bariatu, P.O.-RMCH, P.S.-Sadar, Distt.-Ranchi-834009 (Jharkhand)
Reg. Off.- Flat No. 2B, 2nd Floor, Parasar Tower, Piska More, Ratu Road, Ranchi-834005(Jharkhand)
☎–9431358317, ✉ : choudhary_ritesh28@yahoo.in
Website : www.manavadhikarsangathan.org, e-mail : info@manavadhikarsangathan.org

रितेश कुमार
राष्ट्रीय प्रभारी

अति आवश्यक पत्र

पत्रांक : AMS/JH/113/2025-26
दिनांक : 19.07.2025

प्रेषक,

राष्ट्रीय प्रभारी,
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

अभिप्रेषित :

सभी प्रदेश प्रभारी / अध्यक्ष / प्रमण्डल अध्यक्ष / जिला अध्यक्ष / प्रखण्ड अध्यक्ष / संयोजक
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन

विषय :– पत्र प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के अंदर सभी प्रदेश / जिला / प्रखण्ड के कार्य समितियों का पूर्णरूपेन गठन कर सूचित करने के संबंध में।

महोदय / महोदया,

राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णयानुसार सूचित करना है कि बार–बार पत्राचार के बावजूद सभी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों एवं संयोजकों को अपने संबंधित प्रदेश एवं जिला समिति का गठन कर राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित करने का अनुरोध किया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश अभी तक कुछ जगहो को छोड़ कर कहीं से समितियों का गठन कर राष्ट्रीय कार्यालय को सूचित नहीं किया गया है। जिसके कारण संगठन के कार्यकलाप एवं कार्यक्रमों पर असर पड़ा है। पदाधिकारीगण कई बार अपने पद के दायित्व को भुल कर केवल पद की इच्छा रखते है जो गलत है उनके इस कार्यकलाप से संगठन की छवि भी धूमिल होती है।

संगठन के द्वारा अध्यक्षों एवं संबंधित पदाधिकारियों की नियुक्ति उनके कथनानुसार की गई थी जिसमें पदाधिकारियों ने समिति बनाने के लिए जो समय मांगा था जो उनकी नियुक्ति पत्र में भी अंकित है उसका भी काफी समय बीत चुका है एवं पदाधिकारीगण इस विषय पर अपना उत्तर देना जरूरी नहीं समझ रहे हैं जो संगठन के नीति एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः आप पदाधिकारीगण अपने संबंधित प्रदेश / जिला / प्रखण्ड में पत्र प्राप्ति के 15 कार्यदिवसों के अंदर प्रदेश / जिला / प्रखण्ड समिति का पूर्णरूपेन गठन कर राष्ट्रीय अध्यक्ष को अविलम्ब सूचित करें। इसी के साथ प्रशासनिक कार्यालय को सभी संयोजकों व सदस्यों की सूची व पूरे पत्ते, मोबाइल / फोन नंबर भी मिल जाने चाहिए।

इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता, दायित्व के प्रति लापरवाही मानी जाएगी और ऐसा होने पर संबंधित पदाधिकारी पूर्णरूपेन उत्तरदायी होंगे। पदाधिकारी अपने पद से स्वतः पदमुक्त हो जाएँगें एवं तत्काल प्रभाव से अपने पद अथवा पहचान पत्र का उपयोग नहीं कर सकेगें। अगर कोई पदाधिकारी पदमुक्त होने के बाद संगठन के पहचान पत्र का दुरूपयोग करता हुआ पाया जाता है तो यह उस पदाधिकारी की अपनी जिम्मेवारी है एवं संगठन उस पदाधिकारी पर कानुनी कार्रवाई करने को स्वतंत्र होगा।

इस कार्य के लिए संबंधित प्रदेश प्रभारी को निर्देशित एवं नियुक्त किया जाता है कि वो अपने क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर इस कार्य को तय समय में पुरा एवं सूचित करें।

सधन्यवाद !

Ritesh
Antrashtriy Manavadhikar Sangthan
National Incharge
राष्ट्रीय प्रभारी
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन